

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 556
जिसका उत्तर 03 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है।
12 अग्रहायण, 1947 (शक)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए जवाबदेही और संपरीक्षा तंत्र

556. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित या एकत्रित करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणालियों के लिए कोई जवाबदेही और संपरीक्षा तंत्र स्थापित किया है:
- (ख) उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग न हो या बिना सहमति के उनसे नहीं लिए जाना सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा या प्रस्तावित नियम क्या हैं:
- (ग) क्या एआई-आधारित डेटा प्रसंस्करण की निगरानी और डेटा सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र संपरीक्षा निकाय स्थापित किए गए हैं: और
- (घ) सरकार द्वारा एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में पारदर्शिता और नीतिपरक प्रशासन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है।

यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने और डेटा-संचालित प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

जवाबदेही और लेखा परीक्षा तंत्र

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम"), और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 ("नियम") को 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था।

- व्यक्तिगत डेटा को व्यक्ति से स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त और स्पष्ट सहमति के साथ वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जाना चाहिए।
- सहमति से पहले या उसके साथ ऐसी सूचना दी जानी चाहिए जिसमें एकत्र किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा और उसके प्रसंस्करण के विशिष्ट उद्देश्य का वर्णन हो।
- नियमों के अनुसार डेटा प्रत्ययी को डेटा की सुरक्षा करने और उल्लंघनों को रोकने के लिए एन्क्रिप्शन या मास्किंग जैसे उचित सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है।

इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार बरकरार रहता है। इस तरह की निकासी पर, डेटा न्यासी व्यक्तिगत डेटा को मिटाने के लिए बाध्य है, जब तक कि कानून द्वारा इसके प्रतिधारण की आवश्यकता न हो।

यह अधिनियम प्रत्येक महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी को अपनी प्रावधानों के अनुपालन का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने की आवश्यकता करता है।

एसपीडीआई नियम

सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 (एसपीडीआई नियम) आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 43क के तहत जारी किए जाते हैं।

ये वर्तमान में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं और डीपीडीपी अधिनियम के तहत दायित्वों के प्रभावी होने तक लागू रहेंगे

- व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया जाना चाहिए और केवल बताए गए उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और सुरक्षित रखा जाना चाहिए
- संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाले संगठनों को एक गोपनीयता नीति प्रकाशित करनी होगी जिसमें यह बताया गया हो कि डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा
- किसी तीसरे पक्ष को प्रकटीकरण के लिए डेटा प्रदाता की पूर्व सहमति आवश्यक है
- संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए और तीसरे पक्ष द्वारा आगे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए
- दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए

सरकार ने मार्च 2024 में एक व्यापक, समावेशी और टिकाऊ एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की पहल के रूप में इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी।

इसके प्रमुख स्तंभों में से एक, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, जिम्मेदार एआई अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शासन ढांचे के साथ नवाचार को संतुलित करना चाहता है।

सुरक्षित और विश्वसनीय एआई

यह स्तंभ जिम्मेदार एआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है, जिसमें स्वदेशी उपकरणों और ढांचे का विकास, नवप्रवर्तकों के लिए स्व-मूल्यांकन चेकलिस्ट और अन्य दिशानिर्देश और शासन ढांचे शामिल हैं।

एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार विकास, तैनाती और अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत रेलिंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आठ जिम्मेदार एआई परियोजनाओं का चयन किया गया है।

परियोजनाओं में मशीन अनलर्निंग, सिंथेटिक डेटा जनरेशन, एआई पूर्वाग्रह शमन, नैतिक एआई फ्रेमवर्क, गोपनीयता-बढ़ाने वाले उपकरण, व्याख्यात्मक एआई, एआई गवर्नेंस परीक्षण और एल्गोरिदम ऑडिटिंग टूल सहित कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।
